(38)

प्रेषक, संख्या । 7782(6)-78-2(4)88(1)/74

डा० आर०एस० अस्थाना
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
हरिजन एवं समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।

हरिजन एवं समाज कल्याण अनुभाग:1 लखनऊ दिनांक 4 अप्रैल 78

विषय:- विभागीय सहायता प्राप्त प्राइमरी पाठशालाओं में कार्यरत अध्यापकों के लिए नये वेतनमानों की स्वीकृति ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपके पत्र संख्या 3085/33-72-8 (शिक्षा-ब) दिनांक 23 दिसम्बर 1979 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्यपाल महोदय ने इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से इस पत्र के संलग्नक एक के कालम:दो में उल्लिखित विभिन्न पदों के लिए कालम:3 में दिखाये गये वर्तमान वेतनमानों के स्थान पर उसी संलग्नक के कालम:7 में दिखाये गये नये वेतनमानों की स्वीकृति प्रदान कर दी है ।

मुझे यह भी कहना है कि प्रश्नगत संस्थानों के कर्मचारियों को इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि को सम्बन्धित संस्थाओं में पूर्णकालीन सेवा में जो नये वेतनमान में कि उनका प्रारम्भिक वेतन विकल्प चुनने की तिथि से संलग्नक को उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित किया जायेगा ।

इन अध्यापकों को वही मंहगाई भत्ता देय होगा जो अनुदानित आश्रम पद्धति विद्यालय के कर्मचारियों को देय है अथवा देय होगा ।

चूंकि उपरोक्त मद पर देय हेतु विभागीय आय-व्ययक में कोई व्यवस्था नहीं है और व्यय अति आवश्यक एवं अपरिहार्य है । अतः राज्यपाल महोदय उक्त धनराशि अभिप्राय के लिए रुपया 16,97,100 (सोलह लाख, सत्तानबे हजार एक सौ रु0) की धनराशि आकस्मिक राज्य

क्रमशः:2

आकस्मिकता निधि से अग्रिम धन के रूप में अवमुक्त करने की भी स्वीकृति प्रदान करते हैं। इस धनराशि की प्रतिपूर्ति अनुपूरक माँग के माध्यम से यथा समय कर ली जायेगी।

उपरोक्त व्यय अनन्तः लेखा शीर्षक-288-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण-(1) (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े हुए वर्गों का कल्याण आयोजनेत्तर (1) (अनुसूचित जातियों का कल्याण (क)-शैक्षिक कार्यक्रम-(1) (मूल योजन -6-सहायक अनुदान -अंशदान-राज्यसहायता के नाम डाला जायेगा।

मुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि वर्तमान अप्रशिक्षित सहायक अध्यापकों को प्रशिक्षित कराने की व्यवस्था की जाय तथा यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि भविष्य में इन पाठशालाओं में अप्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति न हो तथा भविष्य में कोई नई पाठशाला बिना शिक्षा विभाग की पूर्व अनुमति प्राप्त किये न खोली जाय।

प्रश्नगत अध्यापकों के प्रविडेन्ट फन्ड की धनराशि (यदि पोस्ट-आफिस में जमा हो तो) उसे तुरन्त राजकीय कोषागारों को हस्तान्तरित कर दी जाय तथा शासनादेश जारी होने के दिनांक से 15 दिन के भीतर शासन को परिपालन रिपोर्ट भेजने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आर0एस0अस्थाना)
उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन,
वित्त (व्यय नियन्त्रण अनुभाग-12)

संख्या 1778(1)/26-7(88)74रा0आ0निधि सं0 ई-12-47/78, लखनऊ
दिनांक 4 अप्रेल सन् 1978

प्रतिलिपि: अतिरिक्त प्रति सहित महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

आज्ञा से,

(ब्रह्म स्वरूप पान्डेय)
अनु सचिव,

हरिजन एवं समाज कल्याण अनुभाग-1

संख्या 1778-(1)26-78

प्रतिलिपि संलग्नकों की प्रतिलिपि सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-5 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
2-वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-12
3- परीक्षक स्थानीय निधि लेखा, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4- कोषाधिकारी, लखनऊ।

आज्ञा से,

(आर0एस0अस्थाना)
उप सचिव।